



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072022-237718
CG-DL-E-29072022-237718

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3408]
No. 3408]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2022/श्रावण 7, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2022/SHRAVANA 7, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2022

का.आ. 3573(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 2733(अ), तारीख 30 जुलाई, 2019 के साथ पठित अधिसूचना सं. का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना के पैरा 5 के उपपैरा (ग) के परंतुक के अनुसरण में, आवश्यक और समीचीन समझते हुए,—

- (i) राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, तेलंगाना के अध्यक्ष और सदस्य ; और
- (ii) राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, तेलंगाना के अध्यक्ष और सदस्यों

को 30 जुलाई, 2022 से बारह मास की अतिरिक्त अवधि के लिए या यथास्थिति, नया राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, तेलंगाना और नया राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, तेलंगाना, जो भी पूर्वतर हो, के पुनर्गठन तक उनकी अवधि का विस्तार करती है।

[फा. सं. आईए3-13/2/2022-आईए.III]

डा. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the, 29th July, 2022.

S.O 3573(E).—In pursuance of the proviso to sub- paragraph (c) of paragraph 5 of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii), *vide*, number S.O 1533(E), dated the 14th September, 2006 read with notification number S.O. 2733 (E), dated the 30th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii), the Central Government being considered necessary and expedient, hereby extends the term of the,-

(i) Chairman and Members of the State Level Environment Impact Assessment Authority, Telangana; and

(ii) Chairman and Members of the State Level Expert Appraisal Committee, Telangana,

for a further period of twelve months with effect from the 30th July, 2022 or till the re-constitution of the new State Level Environment Impact Assessment Authority, Telangana and the new State Level Expert Appraisal Committee, Telangana, as the case may be whichever is earlier.

[F. No. IA3-13/2/2022-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.